

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 45/2018 अपील (राजस्व)

श्री हीरालाल पिता लच्छा गुर्जर, निवासी नाड़ियाखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार वल्लभनगर अन्तर्गत प्रकरण संख्या 772/2017 नाजायज कब्जा दिनांक 25.07.18

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:—17.12.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 772/2017 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 25.07.18 से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश छपे छपाये फार्म में नाम पता लिखकर पारित किया गया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता हैं। इसके अलावा भी 25.07.18 के फर्द अहकाम के अनुसार आदेश छपे छपाये फार्म में भी नहीं भरा है व छपे छपाये फार्म की इबारत ही रखी गई है जो एक दूसरे के विपरीत है, जैसे फर्द अहकाम तारीख 25.07.18 में अपीलान्ट की उपस्थिति के संबंध में कोई अंकन नहीं है तथा आदेश में अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज की गई है तथा

अतिक्रमी ने जवाब पेश किया / नहीं किया है, दोनो ही बातें अंकित की है, जो गलत है। पटवारी की रिपोर्ट में अतिक्रमी का मकान होना बताया गया है तथा यह मकान कब से बना है, किस काम आ रहा है व अतिक्रमी का कब से कब्जा है व अतिक्रमी के पास अपने खाते में कितनी भूमि है, नहीं बताया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी अपीलान्ट का विवादीत भूमि पर बने अपीलान्ट के मकान के संबंध में कोई जाँच नहीं की है तथा अपीलान्ट का कब 15.07.1994 के पूर्व का काश्त युक्त साबित नहीं होना मानकर बेदखली के आदेश पारित किय है वह विवादीत भूमि में बोयी हुई फसल का जब्त सरकार कर निलाम करने का आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं। अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि से चारागाह की भूमि मिली हुई हैं। अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है व अपीलान्ट ने विवादीत भूमि पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के साथ ही वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने अपने खातेदारी की भूमि मानकर ही इस पर 50 वर्ष पूर्व अपनी फसलें घास, खेती का सामान आदि रखने हेतु मकान बनाया है व मवेशी बांधने हेतु बाड़ा बनाया है, तब से अपीलान्ट कथित मकान में अपनी फसले, घास व खेती का सामान आदि रखता आया है व निवास कर रहा है एवं बाड़े में मवेशी बांधता चला आया हैं। मवेश को बांधने के लिये टिनशेड लगा रखे हैं। अब पटवारी हल्का द्वारा चारागाह की भूमि होना बताया जा रहा है, यदि चारागाह की भूमि मानी जावें तो भी इस पर बने मकान व बाड़े को नियमन कराया जाना आवश्यक हैं। राजनैतिक द्वेषता से सरपंच द्वारा पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट करायी है तथा अपीलान्ट की भूमि से चारागाह की भूमि मिली हुई है जिसके नपती कराने का प्रश्न है जिस हेतु अपीलान्ट की ओर से निवेदन किया गया लेकिन पटवारी हल्का व निरीक्षक द्वारा व गठित कमेटी द्वारा किसी भी मुस्तिकिल निशान यानि स्थायी निशान से नपति नहीं की गई है। ना अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि की नपति की गई है जिससे यह जाहीर हो कि अपीलान्ट के कब्जे का मकान व बाड़ा अपीलान्ट के खातेदारी की

भूमि में है या चारागाह की भूमि में हैं। पटवारी हल्का ने विवादीत भूमि पर मकान व बाड़ा होने की रिपोर्ट की है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर काश्तयुक्त कब्जा तारीख 15.07.1994 के पूर्व नहीं होना मानकर कथित निर्णय पारित करने में विधिक भूल की हैं। अपीलान्ट को पेशी तारीख 15.05.18 की पेशी की सूचना दी गई व निर्णय 25.07.18 की तारीख में छपे छपाये फार्म में नाम पते भरकर तैयार कर दिया गया हैं। इसके बाद पेशिया तारीख 15.05.18, 23.05.18, 11.07.18 व 25.07.18 की नियत की गई है व तारीख 25.07.18 को फर्द अहकाम में अंकित किया है कि अधिवक्ता के निवेदन पर दल गठन कर जाँच करवायी गई। जाँच रिपोर्ट अनुसार मौके पर अतिक्रमण पाया गया हैं। जुर्माना 50 गुना वसूल हो, मौके से बेदखली के आदेश हो, निर्णय पृथक से लिखा गया, लेकिन पत्रावली को देखन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई आदेश पृथक से नहीं लिखा गया है, बल्कि पूर्व में जो 25.07.18 की तारीख डालकर छपे छपाये फार्म में आदेश किया गया है जो विधिपूर्ण नहीं है व निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं विवादीत भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा छपे छपाये फार्म में आदेश पारित कर दिया है जिसे पारित करने में अपना मार्डैंड अप्लाई नहीं किया हैं। पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमी का मकान होना बताया गया है परन्तु यह मकान कब बनाया गया, अतिक्रमी का कबसे कब्जा है एवं अतिक्रमी के पास अपने खाते में कितनी भूमि है नहीं बताया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी इसके संबंध में कोई जाँच नहीं की

गई। मात्र दिनांक 15.07.1994 के पूर्व का काशतयुक्त साबित नहीं होना मानकर बेदखली के आदेश पारीत किये गये हैं। वह विवादीत भूमि में बोयी हुई फसल को जब्त सरकार कर निलाम करने का आदेश पारित करने में भी भूल की है। अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि से चारागाह की भूमि मिली हुई है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। जिसे अपनी खातेदारी भूमि मानकर ही 50 वर्षों से खेती करता आया है। मवेशी बांधने का बाड़ा बनाया है। मकान बनाया है। मवेशी बांधने के लिये टिनशेड लगा रखा है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा इस भूमि को चारागाह की होना बताया जा रहा है। यदि भूमि चरागाह की है तो नियमन किये जाने के आदेश फरमाये जावें। राजनैतिकद्वेषता से सरपंच द्वारा पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट करायी है। भूमि की नपती कराने हेतु निवेदन किया गया जिस पर किसी भी मुस्तिकिल निशान से नपती नहीं की गई। जबकि अपीलान्ट के कब्जे का मकान अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में है या चारागाह की भूमि में है इसे तय किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने के अधिकार नहीं होते हुए भी आदेश पारीत किया गया है। अतः अब भी संयुक्त सर्वे दल से भूमि की नपती अपीलान्ट की उपस्थिति में करायी जाकर अपीलार्थी को संतुष्ट किया जावें। अपीलार्थी भूमिहीन काशतकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पर्याप्त साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए छपे छपाये फार्म पर आदेश पारित कर दिया गया। ऐसा आदेश किसी स्थिति में वैधानिक नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा कब्जा मौजा नाड़ियाखेड़ी के आराजी संख्या 1 रकबा 2 बिघा भूमि पर बताया गया है। जबकि आदेश आराजी संख्या 2 रकबा 2 बिघा भूमि का देते हुए आराजी संख्या 2 से बेदखली के आदेश पारीत किये गये हैं। इस प्रकार न्यायालय स्वयं भी यह साबित नहीं कर पाया है कि वास्तव में नाजायज कब्जा है अथवा नहीं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय को

आदेशित करे कि वह अपीलार्थी की उपस्थिति में किसी भी मुस्तकील पोइन्ट से संयुक्त सर्वे टीम द्वारा सर्वे कराकर अपीलार्थी को सही स्थिति से ज्ञान करावें एवं अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखे कि अपीलार्थी का कब्जा कितना पुराना है एवं अपीलार्थी को सुनकर ही साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर गुणावगुण पर न्यायोचित आदेश पारित करें। चुंकी वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के खाते से लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त भूमि चारागाह की तारीफ में भी आती है तो काबिले नियमन योग्य है जिसे नियमन की जाकर अपीलार्थी के नाम दर्ज की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि रिपोर्ट पटवारी तारावट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के विरुद्ध मौजा नाडियाखेड़ी की आराजी संख्या 1 रकबा 2 बिघा चारागाह भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर विधिवत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी किया जाकर अपीलार्थी को सुनकर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत की गई है जिसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्यायोचित है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। चारागाह भूमि को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। चारागाह भूमि मात्र गाँव के मवेशियो की चराई हेतु चारागाह के रूप में ही उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया भी गया है तो ऐसा निर्माण कार्य गैर कानूनी है। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि आराजी संख्या 1 रकबा 2 बिघा भूमि पर 50 वर्ष पूर्व का कब्जा होकर इस भूमि पर काश्त की जाती रही हैं। इस भूमि को सदैव अपनी खातेदारी समझा गया है। परन्तु इस बाबत अपीलार्थी द्वारा ना तो अधिनस्थ न्यायालय में नाही इस न्यायालय में कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु अपीलार्थी की यह बात स्वीकार योग्य है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर भी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में किसी मुस्तकील बिन्दु से सर्वे नहीं कर अपीलार्थी को अतिक्रमित भूमि के संबंध में संतुष्ट नहीं किया गया है। अतः अब भी अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि एक संयुक्त सर्वे टीम गठित कर अपीलान्त की उपस्थिति में मुस्तकील पोइन्ट से अपीलार्थी की उपस्थिति में सर्वे कर अपीलार्थी को संतुष्ट किया जावे कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की स्वयं की खातेदारी की भूमि है अथवा चारागाह है।

यदि चारागाह भूमि है तो अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे एवं निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे एवं खातेदारी भूमि है तो अपीलार्थी के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को ड्रॉप की जावे।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर